

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:-प. 3(19)गृह-1/2012

जयपुर, दिनांक:- 6 AUG 2018

आज्ञा

वर्ष 1 साल 2010 राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में उप निदेशक के पदों पर कार्यरत अधिकारियों की दिनांक 01.04.2018 की स्थिति दर्शाते हुये अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची निम्नानुसार जारी की जाती है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी एवं पिता का नाम	वर्ग	जन्म तिथि	उप निदेशक के पद पर चयन वर्ष
1.	2.	3.	4.	5.
1.	डॉ. शैलेन्द्र झा पुत्र श्री आर.के. झा	सामान्य	30.09.1958	2012-13

उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 393/2014 द्वारा श्री एस.एस. डागा एवं डॉ. जी.के. माथुर बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अध्यधीन जारी की जाती है।

इस वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में उक्त अधिकारी को आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के माध्यम से अथवा सीधी ही अधोहस्ताक्षरकर्ता को वरिष्ठता सूची जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में प्रेषित कर सकते हैं। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचारण नहीं किया जायेगा तथा उक्त स्थिति के अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी।

आज्ञा से,

S. J.
(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त शासन सचिव, गृह / शासन सचिव, गृह
2. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला राज्य जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त वरिष्ठता सूची सम्बन्धित अधिकारी को तत्काल डिलिवर करावें तथा निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों को इकजाई कर अपनी टिप्पणी सहित इस विभाग को तत्काल भिजवायें।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (समन्वय) विभाग को उक्त वरिष्ठता सूची गृह विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित अधिकारीगण मार्फत निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला राज्य जयपुर।
5. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस